न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 46/2021

प्रार्थी

आलाराम पुत्र हिमारामजी, जाति–कलबी, निवासी–जोलपुर, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जोलपुर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जोलपुर, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
2. उमीदेवी पत्नि अचलाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. दीपाराम पुत्र अचलाराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
4. भूराराम पुत्र अचलाराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
5. मीरादेवी पत्नि जगदीश जी पुत्री अचलाराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– मलावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
6. कनकादेवी पत्नि रतना जी पुत्री अचलाराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– मलावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
7. पुरोदेवी पत्नि वेलाजी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
8. प्रेमाराम पुत्र वेलाजी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
9. देवुदेवी पत्नि खेमाराम जी पुत्री वेलाजी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– भामरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
10. कोकुदेवी पत्नि बाबुलाल जी पुत्री वेलाजी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– सेलवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
11. नवुदेवी पत्नि गोदाराम जी पुत्री वेलाजी कलबी, जाति– कलबी, निवासी– जीरावल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अप्रार्थी संख्या 2 से 11 की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 19 जून, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेला जी पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 2 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 11 की

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (ग्राम पंचायत, जोलपुर जरिये सरपंच) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, जोलपुर की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 2010(3) DNJ (Raj.) Page 1147-1148, 2009 WLC (Raj.) UC Page 759, 2000 DNJ (Raj.) Page 438, 2000(7) RBJ Page 329 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी गाँव जोलपुर का मुल निवासी है। यह कि ग्राम पंचायत, जोलपुर ने राजस्थान पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के पति व पिता अचलाजी पुत्र जगनाथजी कलबी तथा वेलाजी पुत्र जगनाथजी कलबी के नाम से पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को क्षेत्रफल 20000 वर्गफीट का राशि रूपये 1000/– अक्षरे रुपये एक हजार मात्र में जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 6, स्वर्गीय श्री अचला पुत्र जगनाथ कलबी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिस है तथा अप्रार्थी संख्या 7 से 11, स्वर्गीय वेला पुत्र जगनाथ कलबी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिस होने से निगरानी में पक्षकार बनाया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा स्वर्गीय श्री अचला व वेला पुत्रगण जगनाथ जी कलबी के हक में नियम 266 राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के तहत उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को गोचर भूमि का जारी किया गया है, जो सर्वथा विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत जोलपुर ने जिस भूमि का पट्टा संख्या 11 जारी किया गया है, वह ग्राम पंचायत, जोलपुर की आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि है, जबकि ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है, फिर भी ग्राम पंचायत, जोलपुर ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। यह कि वादग्रस्त सम्पुर्ण भूखण्ड पर स्वर्गीय श्री अचला व वेलाजी पुत्रगण जगनाथ जी कलबी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उक्त भूमि उनके कब्जे उपयोग में रही है। वादग्रस्त भूखण्ड में से मात्र 2400 वर्गफीट भूमि पर ही स्वर्गीय श्री अचला व वेला पुत्रगण जगनाथ कलबी का कब्जा था तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 2 से 11 का केवल 2400 वर्गफीट भूमि पर ही कब्जा है, जो उनके आवास के उपयोग में आ रही है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा 20000 वर्गफीट खाली भूमि का पट्टा स्वर्गीय श्री अचला व वेला पुत्रगण जगनाथ कलबी के हक में जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। यह कि जब अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर गोचर भूमि में निर्माण करना आरम्भ किया तो प्रार्थी को उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 के संबंध में जानकारी हुई, तब गोचर भूमि में जारी उक्त पट्टे के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर को शिकायत की गई। यह कि उक्त पट्टे की शिकायत की जांच में पटवारी हल्का द्वारा उक्त पट्टा गोचर भूमि में जारी हुआ होना बताने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जोलपुर को ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त करने व निर्माण कार्य बन्द करवाने हेतु आदेशित किया गया था, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य बन्द नही करने से प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि ग्राम पंचायत, जोलपुर को 20000 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत, जोलपुर ने बिना अधिकार के उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसका अनुमोदन भी सक्षम स्तर से नहीं किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत को खाली व कब्जे रहित भूमि का बेचान निलामी के जरिये करना होता है, फिर भी स्वर्गीय श्री अचला व वेला पुत्रगण जगनाथ कलबी को अनुचित लाभ पहुँचाने

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के आशय से उक्त पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पुर्व मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया एवं न ही किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, जोलपुर ने पट्टा जारी करने से पूर्व स्वतंत्र गवाहों के बयान भी कलमबद्ध नही किये है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 के संबंध में ग्राम पंचायत, जोलपुर में किसी भी तरह का कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत, जोलपुर से उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 से संबंधित रेकर्ड तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जोलपुर ने पत्र संख्या 531 दिनांक 02.11.2023 से यह बताया है कि ग्राम पंचायत, जोलपुर के रेकर्ड में उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जोलपुर ने पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है एवं न ही ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त RRD 1994 Page 386, RRT 2018-19 (sup.) Page 125, RJT 2016(1) Page 99 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी आधार के अपना कोई अस्तित्व नहीं होते हुए भी केवल मात्र एक ही जाति के होने से द्वेषभावना रखते हुए एवं परेशान करने की नियत से गलत निगरानी प्रस्तुत की है जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 की नियम 266 के तहत पूर्ण रूप से नियमों की पालना करते हुए विधि सम्मत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के पति/पिता अचला पुत्र जगनाथ व वेला पुत्र जगनाथ के नाम से पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 17.7.1980 को पारित कर दिनांक 04.9.1980 को पट्टा विलेख जारी किया गया जो पूर्ण रूप से विधि अनुरुप है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत, जोलपुर में नही है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जोलपुर के उक्त पत्र संख्या 531 दिनांक 02.11.2023 में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत, जोलपुर के रेकर्ड में उक्त पट्टे की प्रतिलिपि नही है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जोलपुर ने उक्त पत्र संख्या 531 दिनांक 02.11.2023 में केवल प्रश्नगत पट्टे की प्रतिलिपि नही होना ही अंकित किया है, उक्त पट्टे के संबंध में अन्य रेकर्ड मिसल व बैठक रजिस्टर, पट्टा शुल्क वसूल करने की रसीद आदि नही होने का कोई अंकन उक्त पत्र में नही किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल उक्त पट्टे की प्रतिलिपि/पंचायत प्रति ही ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। यदि प्रश्नगत पट्टे की पंचायत प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही है और ग्राम पंचायत ने रेकर्ड का संधारण नही किया है तो इस हेतु पट्टाधारक या अप्रार्थीगण को दोषी नही ठहराया जा सकता है, क्योंकि रेकर्ड के संधारण करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का है। ग्राम पंचायत में प्रश्नगत पट्टे की प्रतिलिपि नही होने के आधार पर प्रश्नगत पट्टे की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की विश्वनीयता पर संदेह नही किया जाता है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जो निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें प्रार्थी की कोई Locus standy नहीं है। प्रार्थीगण को यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 में अंकित नाप व क्षेत्रफल की भूमि गोचर भूमि नही है, बल्कि ग्राम पंचायत, जोलपुर की आबादी भूमि है एवं ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है एवं मौके पर पट्टा जारी होने के पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी मौके पर काबिज थे एवं मौके पर इनका मकान मय आवासीय उपयोग की आबादी भूमि पर पुराना कब्जा होने से ही ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत पट्टा जारी करने हेतु कोई अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित नही था, बल्कि पंचायत की आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी कर सकती थी। यह कि अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के जरिये पिछले 70—80 वर्षो से मौके पर काबिज होकर निवास करते आ रहे है तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत, जोलपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत की देखरेख में निर्माण कार्य किया है एवं मौके पर चारों तरफ पूरी आबादी बसी हुई है और गांव के अन्य लोग भी अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 11 की भूमि मौके पर खाली भूमि नही होकर मौके पर अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी अचलाजी पुत्र जगनाथ जी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी का पुराना कब्जा व आवास बना हुआ था, जो पुराना होने व जर्जर होने से अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, जोलपुर से निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर नये मकान का निर्माण किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि के चारों तरफ चार दिवारी भी पुरानी बनी हुई है। यह कि प्रार्थी व उसके परिवारजन स्वयं अतिचारी है, जिन्होनें लगभग एक बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बनवाये है जिसका कोई भी पट्टा विलेख प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी स्वयं को लाखों रूपये की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का कोई हक अधिकार नहीं है, बल्कि प्रार्थी ने अपने अवैध कृत्य को छुपाने के लिए अप्रार्थीगण के ऊपर गलत आरोप लगाकर यह आवेदन निगरानी आवेदन पेश किया है। जबकि मौके पर अप्रार्थीगण के मकान के चारो तरफ करीब 500 घरों की आबादी बसी हुई है तथा लोग अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के पूर्वज अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेला पुत्र जगनाथ जी कलबी को ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को जारी किया गया है, उस समय प्रार्थी आलाराम का जन्म नहीं हुआ था, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के पूर्वज अचलाजी पुत्र जगनाथ जी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थी आलाराम के जन्म के पूर्व से ही मौके पर काबिज होकर निवास कर रहे थे एवं मौके पर आज भी अप्रार्थीगण का आवासीय मकान मय पुराना कब्जा बना हुआ है व मौके पर काबिज होकर आवासीय उपयोग व उपभोग कर रहे है। यह कि उक्त पट्टा जारी हुये 42 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन, पट्टा जारी होने के 42 वर्ष बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इतने वर्षो की देरी से यह निगरानी आवेदन पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने नही दर्शाया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त विधिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट किया है कि इतने विलम्ब की अवधि से प्रस्तुत निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है एवं इतने वर्षो के बाद प्रश्नगत पट्टे की भूमि में अप्रार्थीगण के अधिका[illegible] करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 से 11

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested.

के कथनों के जवाब में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज अधियिम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन पेश करने हेतु मियाद अवधि निर्धारित नही है। छल कपट, दुर्व्यपदेशन व कुटरचित तरीके से जारी आदेशों एवं बिना अधिकारिता के जारी आदेशों के मामलें में निगरानी किसी भी समय पर प्रस्तुत की जा सकती है। यह कि विवादित भूमि गोचर भूमि होने से प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने का कानूनन हक अधिकार है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा श्री अचला पुत्र जगनाथ जी कलबी एवं श्री वेला पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 20000 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा श्री अचला पुत्र जगनाथ जी कलबी व श्री वेला पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा संख्यया 11 दिनांक 04.9.1980 को जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि है।'' प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''उक्त पट्टे में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर कब्जा नही होकर केवल 2400 वर्गफीट भूमि पर ही मकान बना हुआ था, शेष भूमि खाली व कब्जे रहित होने से पंचायत द्वारा नीलामी के माध्यम से विक्रय की जानी चाहिये थी।'' जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 11 का यह कथन है कि ''उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 में अंकित नाप व क्षेत्रफल की भूमि गोचर भूमि नही है, बल्कि ग्राम पंचायत, जोलपुर की आबादी भूमि है एवं ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है एवं मौके पर पट्टा जारी होने के पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी मौके पर काबिज थे एवं मौके पर इनका मकान मय आवासीय उपयोग की आबादी भूमि पर पुराना कब्जा होने से ही ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के पत्र क्रमांकःपंसरे/पंचायत/2022/344 दिनांक 29.9.2022, जो प्रभारी अधिकारी, पंचायत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही को जारी किया गया है, में यह अंकित किया गया है कि श्री वालाराम पुत्र जगमालराम जी कलबी, निवासी–जोलपुर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जोलपुर के खसरा संख्या 423 की गोचर भूमि पर दीपाराम पुत्र अचलाजी कलबी, निवासी– जोलपुर द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करवाया जा रहा है जिसके संबंध में उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर द्वारा ग्राम पंचायत, जोलपुर की आबादी भूमि से लगती हुई गोचर भूमि खसरा संख्या 423 आई होने से इस संबंध में तहसीलदार, रेवदर से विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया जिससे उक्त विवादित स्थल गोचर भूमि में है। ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा गोचर भूमि में दिया गया पट्टा नियमानुसार नही है।

इस प्रकार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के उक्त पत्र दिनांक 29.9.2022 से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 की भूमि आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि है एवं गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ऐसी

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Raj Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
★ सिरोही ★

स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, जोलपुर को विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोलपुर द्वारा अचलाजी पुत्र जगनाथ जी कलबी व वेला जी पुत्र जगनाथ जी कलबी, निवासी– जोलपुर के पक्ष में क्षेत्रफल 20000 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 04.9.1980 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, जोलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण गोचर भूमि से संबंधित है और प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ने ही अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि पंचायत गोचर की अभिरक्षक (custodian) है और ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि गोचर भूमि को अतिक्रमियों से सुरक्षित रखते हुए संरक्षित रखा जावे। इस आलोक में उक्त प्रकरण में मौके व रेकर्ड की पुनः जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 जून, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested